बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों)4023/2006–1082/ पटना, दिनांक– 16.11.2006

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली–2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली – 2006

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

   (2) यह संशोधन मूल नियमावली की अधिसूचना की तिथि से ही प्रभावी होगी।

2 उक्त नियमावली 2006 के नियम–2(घ) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा:–

   2घ – " निवास स्थान से अभिप्रेत है,

   (i) बिहार विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्यों के वह स्थान जो उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित स्थायी पता अंकित हो, या

   (ii) गृह विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका स्थायी निवास स्थान, जिसे सदस्य शपथ ग्रहण के बाद तुरत सूचित करे,

   (iii) बिहार विधान मण्डल के मनोनीत सदस्य के लिए वह स्थान जहां मतदाता सूची में उनका नाम हो।"

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–3(ख) में संशोधन – नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक "8000/–" के बाद शब्द एवं कोष्ठक "(आठ हजार)" अंतःस्थापित किये जायेंगे तथा शब्द "एवं अनुमान्य भत्ते" विलोपित किये जायेंगे।

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–4 में संशोधन – नियम–4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक "10000/–" अंक, शब्द एवं कोष्ठक शब्द "12000/– (बारह हजार)" रूपये द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा।

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–6 में संशोधन –

   नियम–6 के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "की सुविधा" शब्द "भत्ता" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "4000/– (चार हजार)" अंक एवं शब्द "2000/– (दो हजार)" रूपये द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–7 में संशोधन – नियम–7 के चौथी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "भुगतेय" शब्द "देय" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–8 में संशोधन –

   (1) नियम–8(ख) की चौथी पंक्ति एवं आंठवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "सामान्य" एवं नियम 8(ख)(v) के द्वितीय परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "स्थायी" को एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं।

   (2) नियम–8(ख)(v) के छठे परन्तुक की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "कोई" शब्द "यात्रा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

कृ0पृ0 उलटे ..

(3) नियम–8(ख)(v) के पांचवें परन्तुक की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "दर से" एवं "मील भत्ते" के बीच शब्द "प्रतिदिन अधिकतम 200 किलोमीटर की सीमा तक" अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

8. उक्त नियमावलो, 2006 क नियम 9 म संशाधन। –

(1) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 की कंडिका (1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "बीस दिनों" के बाद शब्द "की यात्रा" एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "15 दिनों" के बाद शब्द "की यात्रा" अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

(2) उक्त नियमावली, 2006 के नियम–9(1) के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:–

"परन्तु और कि सदस्य को पूरे माह के लिए अनुमान्य दैनिक–भत्ता उस अवस्था में भी देय होगा जब सदस्य अनुमान्य हवाई यात्रा/रेल यात्रा/सड़क यात्रा की हों।"

(3) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में "संयुक्त अधिवेशन" के बाद शब्द "या समितियों की बैठकों" अंतः स्थापित किये जायेंगे।

(4) नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक में जहां–जहां शब्द "अधिवेशन" प्रयुक्त किये गए हैं, उसके बाद शब्द "या समितियों की बैठक" अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

(5) नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (क) का द्वितीय स्पष्टीकरण की कंडिका (ii) में शब्द "अविच्छिन्न अधिवेशनमाला" के बाद शब्द, "या समितियों की बैठक की अविच्छिन्न श्रृखला", दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में शब्द "अधिवेशन" के बाद शब्द "या समितियों की बैठक" अन्तः स्थापित किये जायेंगे तथा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम को विलोपित करते हुए शब्द "या कोई बैठक नहीं हुई हो" जोड़े जायेंगे।

(6) नियम 9 के उप नियम (2) में अंक "8" अंक "9" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(7) नियम 9 के उप नियम (2) में प्रथम एवं दूसरी पंक्ति में शब्द "अधिवेशन" के बाद शब्द "या समितियों की बैठक" अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

9. उक्त नियमावली के नियम–10 की पांचवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "निजी" एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

10. उक्त नियमावलो, 2006 क नियम–14 मं संशाधन– (1) नियम–14 की तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "सामान्य" एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

(2) नियम–14(ख)(i) का द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"परन्तु और कि सदस्य उसी वित्तीय वर्ष की अनुमान्य स्थानीय कॉल सीमा के मूल्य के अधीन रहते हुए मोबाइल एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

11. उक्त नियमावलो, 2006 क नियम–17 मं संशाधन –

नियम–17(1) के द्वितीय परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा:–

"परन्तु और भी कि बिहार विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जो दोनों सदनों के सदस्य रह चुकें हों, अंतिम बार जिस सदन के सदस्य रहें हों, वहीं से उन्हें दोनों सदनों की सदस्यता अवधि की गणना करके पेंशन देय होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भोगेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(सदस्यों)4023 / 2006–1082 / दिनांक– 16 नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि–महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव / सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव / वित्त विभाग / विधि विभाग / सरकार के सभी विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(सदस्यों)4023 / 2006–1082 / दिनांक– 16 नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अधिसूचना की 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के उप सचिव।